



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

प्रयागराज बुधवार, 8 दिसम्बर, 2021 ई०
(अग्रहायण 17, 1943 शक संवत्)

उत्तर प्रदेश शासन

धर्मार्थ कार्य विभाग

संख्या 1240/57-2021-3(6)/2003

लखनऊ, दिनांक : 08 दिसम्बर, 2021 ई०

अधिसूचना

प०आ०-436

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 29 सन् 1983) यथा संशोधित अधिनियम, 2003 की धारा 6 (2) (ज) एवं धारा 6 (2) (ट) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल धारा 6 (2) (ज) के अन्तर्गत न्यास परिषद् के 02 सदस्य एवं धारा 6 (2) (ट) के अन्तर्गत न्यास परिषद् के 03 सदस्यों का निम्न प्रकार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों के लिये नामांकन अधिसूचित करते हैं-

धारा 6(2) (ज) के अन्तर्गत

धारा 6 (2) (ट) के अन्तर्गत

- 1-पं० दीपक मालवीय, निवासी गायत्री भवन, के-737/
32, गोलघर, वाराणसी
- 2-पं० प्रसाद दीक्षित पुत्र स्व० रसिक मोहन दीक्षित,
निवासी बी-38/195-क-5, रघुनाथ नगर कालोनी,
महमूरगंज, वाराणसी

- 1-प्र० ब्रजभूषण ओझा, गोपालगंज, बिहार
- 2-प्र० चन्द्रमौली उपाध्याय पुत्र पं० राजमोहन उपाध्याय,
निवासी डी०-30/1 जी, आन्जनेय निकेतन, गंगाबाग,
लंका, वाराणसी।
- 3-श्री के० वेंकटारमण घनपाठी, हनुमानघाट, वाराणसी।

आज्ञा से,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव।